

सं. 2/1/2022-सं. एवं प./123-29

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

...

तीसरा तल, सेवा भवन,
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक : 10 जून, 2022

कार्यालय आदेश

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 5(1) के साथ पठित लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 3 (उद्घरण संलग्न) के अनुसरण में श्री सूमित निगम, एस.डी. ओ. (मुख्यालय), केन्द्रीय जल आयोग, को अभिलेख अधिकारी (Record Officer) के रूप में नामांकित किया जाता है। विभागीय अभिलेखागार कक्ष का कार्य सुचारु रूप से कार्यन्वयन हेतु श्री सूमित निगम उपरोक्त लोक अभिलेख अधिनियम धाराओं में निहित कार्यों/शक्तियों/अधिकारों का पालन करेंगे। श्री सूमित निगम से संबंधित विवरण निम्नानुसार प्रेषित है।

नाम	:	श्री सूमित निगम
पद	:	एस.डी. ओ. (मुख्यालय),
पूरा पता	:	दूसरा तल, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
दूरभाष	:	001-29582239
ई मेल	:	sumit-cwc@gov.in

यह कार्यालय आदेश, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केन्द्रीय जल आयोग के अनुमोदन से जारी किया गया है।

अ.के. बालामुरुगन

(आर.के. बालामुरुगन)
अवर सचिव(सं.एवं प.)
केन्द्रीय जल आयोग

प्रतिलिपि:-

1. पी.पी.एस, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग।
2. पी.पी.एस, सदस्य (डी एण्ड आर)/(डब्ल्यू पी एण्ड पी)/(आर.एम.सी), केन्द्रीय जल आयोग।
3. सभी मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग।
4. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।
5. सभी निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग।
6. सभी अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग।
7. श्री सूमित निगम, एस.डी. ओ. (मुख्यालय), केन्द्रीय जल आयोग।